

राजकीय महाविद्यालय सफीदों

अति आवश्यक निर्देश

Memo no:

Dated:

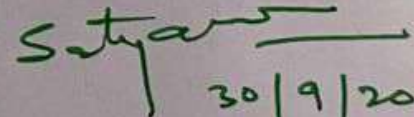
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रथम दृष्टया इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कॉलेज परिसर में कुछ बाहरी तत्व, विद्यार्थी अथवा स्टाफ सदस्य शराब अथवा अन्य नशे का सेवन करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं—

1. यदि किसी व्यक्ति (विद्यार्थी / स्टाफ सदस्य) पर शराब या अन्य नशे के प्रयोग का संदेह पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिनेशन हेतु आदेशित किया जाएगा।
2. आदेश प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को निर्धारित समयावधि में सिविल अस्पताल सफीदों से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होगा तथा उसका प्रमाण-पत्र (Certificate) कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
(Liquor Consumption)
3. आदेशों की अवहेलना की स्थिति में इसे Misconduct एवं Non-compliance माना जाएगा तथा दोषी के विरुद्ध Civil Services Rules, 2016 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. ड्यूटी चौकीदार पर भी कोताही के लिए सख्त कार्यवाही होगी।
5. अनुशासन समिति के कन्वीनर (प्रति सप्ताह) सर्टिफिकेट दे की खाली पड़े फ्लैट्स या बिल्डिंग में कोई दुरुपयोग नहीं होता।

सभी संबंधित को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

1 सहायक: for wide circulation for all

(Principal)


30/9/2025

Government College, Safidon